[6/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2726]

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 26/05/2022

विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7-13/2018/छ: दिनांक 04.10.2018 में मानदेय की दरों में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों के मानदेय का भुगतान निम्न शर्तों के अधीन करने की स्वीकृति दी जाती है :-

(1) जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को रूपये 5000/- (पांच हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।

(2) जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है उन मंदिरों के पुजारियों को रूपये 2500/- (दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।

(3) जिन मंदिरों के पास पांच एकड से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को रूपये 2000/- (दो हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।

(4) जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

(5) यह आदेश दिनांक 01.05.2022 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुष्पा कुलेश)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग